भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय,
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल – 02
Phone: 0755-2661263,2737446 **Fax**: 2661263
Website:bsgmp.net **E_mail**: bsgmadhyapradesh@gmail.com

क्र0 / स्था.–का.अ. / रा0मु0 / 2737 / 2018 भोपाल, दिनांक 06.09.2018

प्रतिष्ठा में,

श्रीमती / सुश्री / श्रीमान..

....

....

विषय :– **दिनांक 28 अगस्त 2018 को आयोजित राज्य कार्यकारिणी की बैठक का कार्यवाही विवरण।**

–––00–––

माननीय,

उपरोक्त विषयांतर्गत दिनांक **28 अगस्त 2018** को भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र गॉधीनगर भोपाल में आयोजित **राज्य कार्यकारिणी** की बैठक का कार्यवाही विवरण आपकी ओर सादर प्रेषित।

संलग्न :– कार्यवाही विवरण

(आलोक खरे)
राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

दिनांक 28 अगस्त 2018 को आयोजित राज्य कार्यकारिणी की बैठक का कार्यवाही विवरण

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. **राज्य कार्यकारिणी** की बैठक दिनांक **28 अगस्त 2018** को दिन **मंगलवार दोपहर 11.00** बजे भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, **राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गॉधीनगर भोपाल** के सभाकक्ष में **माननीय श्री पारसचंद्र जैन, मंत्री ऊर्जा म.प्र.शासन एवं राज्य मुख्य आयुक्त,** भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, बैठक में अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

क्र.	पदाधिकारी का नाम	पद
01	श्री पारस चंद्र जैन	राज्य मुख्य आयुक्त
02	श्री डी.एस.राघव	राज्य आयुक्त–स्काउट
03	श्रीमती सरोज चौकसे	राज्य आयुक्त–गाइड
04	डॉ बलवान सिंह	राज्य कोषाध्यक्ष
05.	श्री आलोक खरे	राज्य सचिव
06.	श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर	संयुक्त राज्य सचिव
07.	श्री प्रकाश चित्तौडा	सहायक राज्य आयुक्त स्काउट
08.	श्री राजीव जैन	सहायक राज्य आयुक्त–स्काउट
09.	श्री राकेश डागोर	सहायक राज्य आयुक्त–स्काउट
10.	श्रीमती डेजी रानी जैन	सहायक राज्य आयुक्त–गाइड
11.	श्रीमती गीता झा	सहायक राज्य आयुक्त–गाइड
12.	श्री प्रकाश दिसोरिया	राज्य संगठन आयुक्त–स्काउट
13.	श्रीमती चंद्रकांता उपाध्याय	राज्य संगठन आयुक्त–गाइड
14.	श्री बी.एल.शर्मा	राज्य प्रशिक्षण आयुक्त–स्काउट
15.	श्री आर.डी. सोलंकी	हेडक्वार्टर कमिश्नर–स्काउट
16.	श्री आर.आर.परमार	जिला मुख्य आयुक्त प्रतिनिधि
17.	श्री थामस भूरिया	जिला कमिश्नर स्काउट प्रतिनिधि
18.	श्रीमती अविदा रजा	जिला कमिश्नर गाइड प्रतिनिधि
19.	श्री आर.के.तिवारी	लीडर ट्रेनर स्काउट प्रतिनिधि
20.	श्रीमती संजू मिश्रा	ग्रुप गाइडर प्रतिनिधि
विशेष आमंत्रित सदस्य		
01	श्री जी.आर.गारगे	लेखाधिकारी, राज्य मुख्यालय भोपाल,
02	श्री डी.पी. मिश्रा	सहायक सचिव, राज्य मुख्यालय भोपाल
03.	श्री रमेश चंद्र शर्मा	जिला मुख्य आयुक्त–उज्जैन

श्री आलोक खरे, राज्य सचिव द्वारा दी गई गणपूर्ति (कोरम) की सूचना के पश्चात ईश प्रार्थना के साथ बैठक प्रारंभ हुई। राज्य सचिव द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। श्री प्रकाश दिसोरिया, राज्य संगठन आयुक्त(स्काउट) श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर, सयुंक्त राज्य सचिव, श्रीमती चंद्रकांता उपाध्याय, राज्य संगठन आयुक्त(गाइड), श्री बी.एल.शर्मा, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त(स्काउट), श्री डी.पी. मिश्रा, सहायक राज्य सचिव, श्री जी.आर.गारगे, लेखा अधिकारी, श्री एस.आर.सैनी, वरिष्ठ लेखा परीक्षक व अन्य मुख्यालयीन अधिकारियों द्वारा राज्य मुख्य आयुक्त एवं अन्य उपस्थित वरिष्ट पदाधिकारियों का राज्य मुख्य आयुक्त के सुझाव अनुसार स्काउटिंग में मितव्यता का ध्यान रखते हुए पुष्प से स्वागत किया गया । माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

बिन्दु क्र.–01 – गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं गत बैठक दिनांक 08 मार्च 2018 के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा एंव अनुमोदन–

दिनांक 08 मार्च 2018 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी की बैठक का कार्यवाही विवरण राज्य सचिव द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि यह पूर्व में सभी माननीय सदस्यों को डाक से भेजा गया है एवं संस्था की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है । राज्य सचिव ने सदन से पुष्टि चाही गई ।

सर्वसम्मति से गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

दिनांक 08 मार्च 2018 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी की बैठक के पालन प्रतिवेदन पर सदन में चर्चा हुई।

राज्य सचिव ने विगत बैठक के पालन प्रतिवेदन के बिंदुओं पर कृत कार्यवाही से अवगत कराते हुए कहा कि माननीय श्री थावरचंद्र गेहलोत, सांसद (लोकसभा) को **"धन्यवाद बैज"** प्रदान करने का प्रस्ताव राष्ट्रीय मुख्यालय को भेजा गया है। इस संबंध में पुनः स्मरण पत्र भेजे जाने का निर्देश दिया गया।

संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों को विगत 12 वर्ष से लंबित छठवें वेतनमान का मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के ज्ञाप कमांक/1014/935/ 2018/ 20–3 भोपाल, दिनांक 09.07.2018 द्वारा दिनांक 01.07.2018 से छठवें वेतनमान के आदेश जारी किये गये है।

राज्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि राज्य शासन से प्राप्त स्वीकृति दिनांक 01.07.2018 से दिया गया है, किन्तु वेतन निर्धारिण किस तिथि से किया जाए इस संबंध में कही उल्लेख नहीं है। इस संबंध में राज्य शासन से पुनः अनुरोध किया गया है कि वेतन निर्धारण दिनांक 01.01.2006 से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाए। इस सबंध में प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है और शीघ्र निर्णय होने की संभावना है।

निर्णयः– शासन स्तर से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जाए।

कार्यवाही :– राज्य सचिव

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि संस्था के नियमित एंव संविदा कर्मचारियों की ई.पी.एफ. कटौत्रा एवं संस्था अशंदान राशि माह जुलाई 2018 तक की उनके खाते में जमा कर दी गई है।

राज्य शिक्षा केन्द्र से स्काउट–गाइड गतिविधियों हेतु अनुदान की राशि 132 लाख वर्ष 2017–18 की प्राप्त हो चुकी है, जिसका उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजने की जानकारी दी गई और वर्ष 2018–19 के लिए प्रस्ताव राज्य शिक्षा केन्द्र को भेजा जा चुका है, जिसकी प्रथम किश्त शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है।

श्री राजीव जैन ने स्काउट–गाइड फैलोशिप के सम्बन्ध में चर्चा की एवं सदस्यता वृद्धि हेतु सहमति व्यक्त की।

राज्य सचिव ने फाईल ट्रेकिंग सिस्टम लागू करने न होने की समस्या के सम्बन्ध में कार्यकारिणी को विस्तार से अवगत कराते हुए कहा कि संस्था के कम्प्यूटर आउट डेटेड हो रहे है, फाईल ट्रेकिंग सिस्टम लागू करने हेतु अपडेटेड कम्प्यूटर सिस्टम, साफ्टवेयर क्रय, प्रशिक्षण तथा स्किल कम्प्यूटर आपरेटर/प्रशिक्षण से कार्य होगा । इस हेतु राशि की आवश्यकता भी होगी ।

कम्प्यूटर क्रय हेतु राशि प्राप्ति हेतु स्वेच्छानुदान/विधायकनिधि/सांसद निधि प्राप्त करने हेतु भी चर्चा हुई। **निर्णयः–राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में सम्बन्धितों को पत्र भेजने के निर्देश दिये गये।**

कार्यवाही :– राज्य सचिव

पालन प्रतिवेदन के अंतर्गत मासिक पत्रिका "बालचर रवि" की चर्चा करते हुए राज्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि माननीय राज्य मुख्य आयुक्त के प्रयासों से पत्रिका को जनसंपर्क विभाग म.प्र. शासन से वर्ष में 06 विज्ञापन प्राप्त होने लगे हैं पूर्व में 03 विज्ञापन प्राप्त होते थे, इससे पत्रिका की आय में वृद्वि हुई है। सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान सदन को अवगत कराया गया है जिला संघों से पत्रिका सदस्यता की राशि संभागीय कार्यालय को भेजा जाता है, किन्तु संभागीय कार्यालय द्वारा उक्त राशि चार–पॉच माह बाद राज्य मुख्यालय को भेजी जाती है, जिससे पत्रिका सदस्यों को विलम्ब से प्राप्त होती है। इस राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि संभागीय कार्यालय द्वारा राशि शीघ्र राज्य मुख्यालय को भेजा जाए जिससें पत्रिका समय पर भेजा सके। राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा कहा गया कि चूँकि पत्रिका का प्रसार पूरे प्रदेश में है। अतः पत्रिका में विज्ञापन हेतु निजी कम्पनियों से भी सम्पर्क किया जाए।

संस्था के पदाधिकारियों के टी.ए/डी.ए.के संबंध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिये गये कि अशासकीय पदाधिकारियों के टी.ए./डी.ए.संबंधित जिलों से भुगतान किया जाए।

विगत राज्य कार्यकारिणी में निर्णय गया था कि राज्य कार्यकारिणी की बैठक भोपाल से बाहर आयोजित किया जाए। इसी तारतम्य में दिनांक 16 अगस्त 2018 को राज्य कार्यकारिणी की बैठक उज्जैन में आहूत की गई थी, किन्तु पूर्व प्रधानमंत्री मान.श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के निधन के कारण उक्त बैठक

स्थगित कर दी गई थी और उक्त बैठक पुनः भोपाल में आयोजित करनी पड़ रही है, **माननीय राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा निर्देश दिये गये कि अब अगली बैठक हनुमंतिया जिला खण्डवा में आयोजित की जाए।**

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि जिला संघों सहित मुख्यालय की आय में वृद्धि हेतु विद्यालयों मे लिये जाने वाले शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है, शासन से स्वीकृति होने की प्रतीक्षा है। इसी प्रकार अशासकीय स्कूलों को पंजीयन शुल्क जमा करने हेतु शासन स्तर से पत्र जारी किया जाना चाहिये।

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि लंबित 51 न्यायालयीन प्रकरण में से 44 प्रकरणों का निराकरण हो चुका है और अब मात्र 07 प्रकरण शेष है।, जिसपर राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त 07 प्रकरणों का निराकरण भी अगली राज्य कार्यकारिणी की बैठक से पूर्व निराकृत कर दिया जाए।

कार्यवाही :— सहायक राज्य सचिव

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि संचालक भारत स्काउट एवं गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली को राष्ट्रीय परिषद की सूची में श्री प्रकाश चित्तौड़ा, सहायक राज्य आयुक्त स्काउट के स्थान पर श्री राजीव जैन सहायक राज्य आयुक्त स्काउट का नाम भेजा गया है। सदन द्वारा निर्देशित किया गया कि इस संबंध में पुनः स्मरण पत्र भेजा जाए।

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि संस्था में कार्यरत संविदा सहायक ग्रेड–3 जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष से अधिक हो गया है, उन्हें वर्तमान मूल वेतन के समकक्ष संविदा पारिश्रमिक दिये जाने के आदेश जारी कर दिये गये है।

सर्वसम्मति से राज्य कार्यकारिणी की बैठक के पालन प्रतिवेदन की पुष्टि की गई।

बिन्दु क्र.–02 – वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 का अनुमोदन।

राज्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 के अनुसार सभी कार्यक्रम सम्पन्न हो चुका है।

1. **अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर भारत बंग्लादेश मैत्री केम्प दिनांक 5 से 16 फरवरी 2018 में प्रदेश से 07 प्रतिभागियों की प्रतिभागिता रही ।**
2. **राष्टीय स्तर पर आयोजित 22 कार्यक्रमों में प्रदेश के लगभग 200 स्काउट/ गाइड/रोवर/ रेंजर की प्रतिभागिता रही है।**
3. **राज्य स्तर पर आयोजित 15 कार्यक्रमों में प्रदेश के 1076 स्काउट/रोवर एवं 589 गाइड/रेंजर की प्रतिभागिता रही है।**

अ– युवा एडवांसमेट सत्र 2017–18 :–

क्र.	नाम	उपलब्धी संख्या		
		स्काउट	गाइड	योग
1	तृतीय सोपान स्काउट/गाइड	751	359	1110
2	राज्य पुरस्कार स्काउट/गाइड	67	41	108
3	राष्ट्रपति अवार्ड स्काउट/गाइड	15	26	41
4	राष्ट्रपति अवार्ड रोवर/रेजर	2	3	5
	महायोग	835	429	1264

ब– वयस्क प्रशिक्षण सत्र 2017–18 :–

क्रम	नाम	उपलब्धी संख्या						
		C	S	R	FL	GC	Ren	Total
1	लीडर ट्रेनर	0	0	0	0	3	0	3
2	सहायक लीडर ट्रेनर	2	3	0	0	2	1	8
3	प्री सहायक लीडर	2	9	0	0	0	0	11

	ट्रेनर							
4	हिमालय वुड बैज	1	12	0	0	0	0	13
5	प्रशिक्षण अध्ययन	2	7	0	0	17	4	30
6	एडवांस कोर्स	24	57	0	13	33	0	127
7	बेसिक कोर्स	172	680	34	136	374	13	1409
	महायोग	203	768	34	149	429	18	1601

सदन में युवा कार्यक्रम, वयस्क प्रशिक्षण पर चर्चा हुई । स्काउटिंग गतिविधियों में वृद्धि हेतु जिला स्तर पर विशेष प्रयास के निर्देश के साथ वार्षिक प्रतिवेदन 2017–18 को अनुमोदित किया गया।

निर्णयः– जिला स्तर पर विशेष प्रयास कर गतिविधियों में वृद्धि की जावे। प्रतिभागिता में कमी चिंतनीय है अतः सभी संभागीय एंव जिला अधिकारियों से सतत संपर्क रखा जावे। जानकारी समय पर राज्य मुख्यालय को प्राप्त होना सुनिश्चित हो।

कार्यवाही :– राज्य संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड)

बिन्दु क्र.-03- संस्था को प्राप्त आजीवन/साधारण सदस्यों की सदस्यता का अनुमोदन।

राज्य सचिव द्वारा संस्था के आजीवन सदस्यता हेतु प्राप्त आवेदनों के संबंध में अवगत कराया कि संस्था की आजीवन सदस्यता हेतु 33 आवेदन तथा 02 साधारण सदस्य के आवेदन इस कार्यालय को प्राप्त हुए है, जो निम्नानुसार हैः–

आजीवन सदस्य				
क्र	नाम	पता	मोबाइल नं.	सदस्यता
01	श्री दिनेश सिंह परिहार	एम–7 महाशक्ति नगर, उज्जैन	99262–80824	आजीवन
02	श्री विक्रम सिंह कुशवाह	तुलसी नगर शुजालपुर मण्डी शाजापुर	99266–69330	आजीवन
03	श्री रवि प्रकाश लंगर	ई–1/1 ऋषि नगर, उज्जैन	94250–91314	आजीवन
04	श्रीमती सरोज अग्रवाल	7/8 धन्वतरी मार्ग ग्रांट होटल के पीछे मेमोरियल टेलर की गली फ्रीगंज उज्जैन	98268–58571	आजीवन
05	श्रीमान सिंह सिसोदिया	16/20/1 अम्बर कालोनी, पुरपुर बिमा धर्मशाला के पास हनुमान नाका उज्जैन	97540–40001	आजीवन
06	श्री सुनील दिवाकर	ब्रहमपुर कालोनी एस.डी.एम.कालोनी के पीछे शुजालपुर मण्डी शाजापुर	98935–14344	आजीवन
07	श्री गोविन्द शर्मा	गणेश मंदिर रोड, शुजालपुर	94254–82044	आजीवन
08	श्री सुधीर भाई गोयल	104 दुर्गा प्लाजा फ्रीगंज उज्जैन	94250–92505, 73549–92041	आजीवन
09	श्री ब्रजेश शर्मा,	255/2 ब्रज नगर एम.जी.रोड, शुजालपुर मण्डी शाजापुर	94240–01188 98260–21368	आजीवन
10	श्री मंगलमर्ति व्यास	204/6 शास्त्री नगर उज्जैन	98274–37203	आजीवन
11	श्री ब्रजेश लुनावत	59 बैशाली नगर, कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल	98260–16888	आजीवन
12	श्री राजीव खरे	एफ 44फ्लोरिंग आर्च, ई–8 अरेरा कालोनी भोपाल	97555–53863	आजीवन
13	श्री आलोक जैन	लक्ष्मीगंज गुना	94258–11111	आजीवन
14	श्री रजनीश कुमार अग्रवाल	एम–203 बी ब्लॉक पं.भीमसेन जोशी, परिसर सॉकेत नगर सेक्टर 2 सी भोपाल	94250–26299	आजीवन

15	डॉ0अजय कुमार सराठे	33 फूल महल स्ट्रीट रेतघाट भोपाल	94253–92466	आजीवन
16	चौधरी रूपेश सिंह चतुर्वेदी	एल–57 पटेल नगर, सीटी सेन्टर ग्वालियर	94251–27060 99266–14487	आजीवन
17	श्री सुधीर कुमार मुनत	13 तिलक पथ महिदपुर सीटी जिला उज्जैन	99260–91720	आजीवन
18	श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार	न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी मकान नं. 886 मुरैना	94251–26700	आजीवन
19	श्री पंकज यादव	90/1 जसवंत मार्ग, जेल रोड महिदपुर उज्जैन	97138–79785	आजीवन
20	श्री राहूल जैन	13 कमला नेहरू मार्ग उज्जैन	98272–06100	आजीवन
21	श्री विजय सिंह	मकान नं.15 सॉई बिहार एक्सक्लूसिव देवास रोड, उज्जैन	94254–59326	आजीवन
22	श्री दिलीप कुमार अरोडा	निवास अरोरा काटेज मरहुल नगर सतना	98272–90600	आजीवन
23	श्रीमती शैला तिवारी	अनुपमा एजुकेशन सोसायटी मरहुल नगर अनुपमा हाइट्स सतना	94253–62071	आजीवन
24	श्री राधेश्याम चौरसिया	15 भागसीपुरा छप्पन भैरव मंदिर के सामने उज्जैन	94253–02886	आजीवन
25	श्री ओम प्रकाश पुरोहित	524 सदर बाजार सेमलिया जिला रतलाम	7766–336020	आजीवन
26	श्रीमती मौसमी अरोडा	154 मंगलमूर्ति रेसीडेन्सी सुयोग परिसर के पास रतलाम	94066–86794	आजीवन
27	श्री बिजेश सिंह चावड़ा	गायत्री मंदिर के पीछे, फ्रीगंज शुजालपुर मण्डी जिला शाजापुर	98939–53050	आजीवन
28	श्री मनीष जैन	25/21 नागा बाबा की तलई उज्जैन	98272–30090	आजीवन
29	श्रीमती प्रेमलता संजय दवे	78 चॉदनी चौक त्रिपोलिया मार्ग उज्जैन	98270–12511	आजीवन
30	डॉ0सुलोचना शर्मा	डी–2 बंसत बिहार कस्तूरबा नगर, रतलाम	94248–09109	आजीवन
31	श्री जगदीश चन्द्र डोडिया	ग्राम–पोस्ट अमलेटा जिला रतलाम	81203–69519	आजीवन
32	श्री दिलीप सिंह यादव	ग्राम महाराजपुर वार्ड नं.46 मुरैना	96914–91346	आजीवन
33	श्री करण सिंह यादव	नाका रोड छावनी आगर	94250–35408	आजीवन

साधारण सदस्य

क्र	नाम	पता	मोबाइल नं.	सदस्यता
01	श्रीमती प्रीति गोठवाल	1 बावडी की चाल अलकापुरी टेम्पो स्टेण्ड रतलाम	81034–95938	साधारण
02	श्री नारायण लाल शर्मा	मुख्य पोस्ट गुणावदा, तह. + जिला रतलाम	97557–30459	साधारण

दो सदस्यों श्री मनीष जैन, उज्जैन एवं श्री करण सिंह यादव के आवेदन पत्र मूल प्रति में प्राप्त नहीं होने से, इनसे मूल फार्म में भरकर मॅगाये जाने की जानकारी दी गई।

राज्य मुख्य आयुक्त ने श्री प्रकाश चित्तौड़ा द्वारा उज्जैन में सदस्यता वृद्धि के प्रयासों की सराहना करते हुए सभी से उनके संभाग/जिलों में सदस्यता वृद्धि के विशेष प्रयास करने के निर्देश दिये।

निर्णयः–प्रस्तुत सूची का अनुमोदन किया गया तथा दो सदस्यों के मूल आवेदन फार्म प्राप्त होने की प्रत्याशा में अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही :– संयुक्त राज्य सचिव/कार्यालय अधीक्षक

बिन्दु क.-04- सम्माननीय सदस्यों से प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा-

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री आलोक खरे, राज्य सचिव द्वारा सदन को अवगत कराया कि सम्मानीय सदस्यों में से श्री राजीव जैन, सहायक राज्य आयुक्त(स्काउट) से निर्धारित समय-सीमा में, राज्य मुख्यालय को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो श्री जैन प्रस्तुत करेंगे।

श्री जैन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव इस प्रकार है –

(1) किसी भी संस्था के विकास के लिए जरूरी हैं कि–

उस संस्था के कर्मचारी अधिकारी सभी सकारात्मक ऊर्जा से भरे हों जिसके लिए उनकी जरूरत का ध्यान संस्था के शीर्ष को रखना पड़ता है। इसीलिए मैं आपका ध्यान हमारे सभी कर्मचारी और पदाधिकारी की आय की तरफ चाहता हूं। संस्था की तरफ से मूल वेतन एवं पदों को स्कूल शिक्षा के समकक्ष संरचना के लिए एक प्रतिवेदन विभाग को गया है जिसमे नए पदों का सृजन एवं वेतन परिवर्तन की मांग की गई है जो अभी तक शासन के समक्ष लंबित है।इस कार्यगति में तेजी हेतु एक नई समिति का निर्माण किया जाए जिसमे वरिष्ठ जन जैसे श्री बलवान सिंह, श्री प्रकाश दिसोरिया, सुश्री ज्योत्स्ना गुर्जर एवं शासन में पदस्थ हमारे पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी जाए जो राज्य सचिव एवं मुख्य आयुक्त के मार्गदर्शन में इस कार्य को द्रुतगति से पूरा करें। वर्तमान संविदा कर्मचारी की जरूरत एवं संख्या के हिसाब से पदों के मांग की जाए, ताकि सभी को समान वेतन व्यवस्था प्राप्त हो। विभागीय जांच समिति एवं प्रमोशन समिति की बैठक हर कार्यसमिति के बैठक के बाद हो ताकि किसी के साथ अन्याय न हो।

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर पत्र व्यवहार पश्चात् शासन स्तर पर गठित समिति का प्रस्ताव का प्रारूप तैयार हो चुका है, तथा शीघ्र ही कार्यवाही होने की आशा है। संस्था स्तर पर भी छटवें वेतनमान सम्बन्धित पत्र–व्यवहार हेतु समिति गठित की गई है वही समिति इस कार्य में भी मॉनिटरिंग कर रही है। नई समिति निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

(2) इस बात में कोई अतिशयोक्ति नही है कि भारत स्काउट गाइड में समय अनुसार कोई नयापन नही आया है। अतः प्रचार प्रसार हेतु एक डिजिटल फिल्म बनाने हेतु किसी प्रोफेशनल की सेवा ली जाए जिसे निजी स्कूलों और आम किशोरों के सामने प्रदर्शित कर उन्हें जोड़ा जाए।इस कार्यक्रम को सीमित समय मे पूरा किया जाए।

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि प्रस्ताव अच्छा है परन्तु संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने से श्री राजीव जैन के समन्वय से उक्त कार्य कराने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे सर्वसहमति से मान्य किया गया ।

(3) प्रचार प्रसार एवं व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों जैसे न्यायधीश,समाज सेवी ,कलाकार, खेल प्रतिभाएं, व्यवसायी,फौजी अफसर, पुलिस ऑफिसर्स आदि जिनका समाज मे नाम है उन्हे स्कार्फिंग या सम्मानित कर संस्था से जोड़ा जाए ।इस हेतु उन्हे निशुल्क सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाए।इस कदम से संस्था की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

संस्था के कार्यक्रमों में विशिष्टजनों को आमंत्रित कर सम्मान कर संस्था से जोड़ने हेतु सहमति व्यक्त की गई।

(4) संस्था के द्वारा एक निशुल्क स्कूल की स्थापना की जाए जो गरीब बच्चों की शिक्षा में योगदान देगा।शायद यह कदम भारत मे स्काउट गाइड द्वारा पहला होगा।इसी तारतम्य में एक ITI की भी स्थापना की जाए जो प्रदेश के स्काउट गाइड्स को व्यावसायिक शिक्षा देगा जिससे उन्हें रोजगार उपलब्ध होगा। इस कार्य हेतु "निजी जन भागीदारी(PPP)" के तहत या निजी व्यावसायिक और NGO के साथ हमारे प्रशिक्षण संस्थानों की भूमि का उपयोग किया जा सकता है। हमारे इस कदम से बड़ी संख्या में किशोर विद्यार्थी हमसें जुड़ेंगे।

राज्य सचिव ने कहा कि उक्त सुझाव के अंतर्गत समस्त नियम "निजी जन भागीदारी(PPP)" के लागू होंगे। सदस्य श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने सहमति व्यक्त की । राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा इस हेतु एक समिति गठित करने के निर्देश दिये गये।

(5) भारत स्काउट गाइड द्वारा तैयार की गई प्रचार व्यवस्था की मदद से निजी प्रभावी प्रस्तुतिकरण द्वारा बड़ी कंपनियों से दान प्राप्त कर संस्था की गतिविधियों को सुदृढ किया जाए, ऐसी कंपनियों की सूची बनाकर उसपर समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाए।

सदन के सदस्यों ने सहमति व्यक्त की।

(6) भारत स्काउट गाइड एक स्वयंसेवी संस्था के रूप में कार्यशील है अतः संस्था की आय बढ़ाने हेतु कुछ चयनित व्यवसायिक गतिविधियों को शुरू करने हेतु प्रस्ताव रखता हूँ। व्यवसाय का चयन एक स्वस्थ बहस आयोजित कर किया जा सकता है जिसमे सभी अनुभवी अपने विचार रख सकते हैं और सरकारी एवं निजी संस्थाओं के साथ व्यापार विषय पर भी गोष्ठी हो।इससे प्राप्त आय न केवल संस्था को मजबूत करेगी बल्कि कर्मचारियों को लाभांश मिल सकेगा।बहस उपरांत एक व्यावसायिक मॉडल तैयार किया जावे।

श्री प्रकाश चित्तौड़ा ने सुझाव दिया कि पूर्व बिंदुपर हुई सहमति अनुसार गठित समिति इस सम्बन्ध में विचार कर सकती है जिस पर सहमति व्यक्त की गई।

(7 अशासकीय पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों को एक गरिमामय मानदेय देना तय किया जाए जो स्थानीय व बाहरी स्थान पर होने वाली बैठक में भाग लेने हेतु हो।मेरा सुझाव है कि रुपए 500 स्थानीय एवं 1500 बाहरी स्थान की बैठक के लिए दिए जा सकते हैं।

राज्य मुख्य आयुक्त ने कहा कि भविष्य में संस्था की आय में अच्छी वृद्धि होती है तो इस पर विचार किया जा सकेगा।

(8) संस्था की इमेज ब्रांडिंग एवं मीडिया अत्यंत कमजोर है।अतःसंस्था की ब्रांडिंग एवं प्रचार हेतु एक गरिमा मय पद का निर्माण किया जाए जो पूरी तरह जिम्मेदार होगा संस्था के प्रचार एवं मीडिया प्रसार हेतु।इस पद पर पूर्णकालिक वेतन भोगी या मनोनीत पदाधिकारी की नियुक्ति की जाए।श्री राधेश्याम चौरसिया ,जो अभी मीडिया प्रभारी के पद पर हैं ।उनका नाम मैं प्रस्तावित करता हूँ।

राज्य सचिव ने उक्त बिंदु पर सदन को अवगत कराया कि श्री राधेश्याम चौरसिया को राज्य मीडिया प्रभारी नियुक्त किया जा चुका है। सर्व सम्मति से सहमति प्रदान की ।

(9) चूंकि भारत स्काउट गाइड एक 100 से अधिक वर्ष पुरानी गौरवपूर्ण इतिहास से परिपूर्ण संस्था है जो केवल और केवल देशहित में कार्यरत है ।अतः उसे शासकीय स्तर पर पहचान मिलना आवश्यक है जिसके लिये मैं माननीय मुख्य आयुक्त से अनुरोध करूँगा कि वे स्वम इस दिशा में पहल कर सभी संस्था सदस्यों एवं पदाधिकारियों को शासन स्तर पर अधिमान्यता दिलाने की कोशिश करें। जिससे संस्था व सदस्यों का मान बढेगा।

राज्य मुख्य आयुक्त ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये।

(10)मुख्यालय में पदस्थ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अनुभव ,विशेषज्ञता और कार्यगति के आधार पर कार्य पुनर्वितरण किया जाए तो सहज कार्यों में गुणवत्ता बढ़ेगी। स्थापना, वितरण, लेखा ,प्रशिक्षण आदि कार्यों का महत्व देखते हुए, सचिव महोदय एक समिति के द्वारा पुनर्नियोजन कर सकते हैं परंतु समिति के चयन में किसी पूर्वाग्रह से बचा जाए तो बेहतर चयन होगा।

राज्य सचिव ने कहा कि संस्था के कार्यरत अधिकारियों की जॉब प्रोफाईल राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा निर्धारित है एवं उसके अनुसार नियमानुसार कार्य संपादित होते हैं। प्रशासनिक कार्य नियमानुसार ही होते हैं एवं आवश्यक समय लगता ही है। अतः समिति गठन की आवश्यकता नहीं है।

श्री आर. डी. सोलंकी ने कहा कि अधिकतर अधिकारियों/कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण हो चुका है एवं कुछ समस्यायें जो निराकरण हेतु शेष बताई जा रही है वे नियमानुसार सही नहीं है और बार–2 उन्हीं के आवेदन आते हैं।

राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में एक नवीन अपील समिति गठन के निर्देश दिये गये।

11)भारत स्काउट्स गाइड्स के स्काउट्स गाइड्स को मप्र की सरकारी नौकरियों में कुछ अंकों का लाभ दिया जाए एवं केंद्र सरकार की प्रतिष्ठानों में ऐसा लाभ मिल सके, ऐसा प्रयास माननीय मुख्य आयुक्त ,मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से किया जाये तो इस समय अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं।

श्री प्रकाश दिसोरिया, राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट) ने इस सम्बन्ध में राज्य मुख्यालय द्वारा कृत कार्यवाही से सदन को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है माननीय राज्य मुख्य आयुक्त ने भी इस सम्बन्ध में सम्बन्धितों से चर्चा की है।

निर्णयः– सभी सुझावों पर नियमानुसार आवश्यक संभव कार्यवाही की जावे।

कार्यवाही :राज्य संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड)

बिन्दु क्र.-05- कार्यालयीन प्रस्ताव पर चर्चा-

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री आलोक खरे, राज्य सचिव द्वारा निम्नलिखित कार्यालयीन प्रस्ताव सदन में माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु रखे गयें।

प्रस्ताव क्र. 01

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक/1014/935 /2018/20-3 भोपाल, दिनांक 09.07.2018 के अनुसार संस्था में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को छठवा वेतनमान दिनांक 01 जुलाई 2018 से स्वीकृत किया गया है, जबकि शासन में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को छठवा वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.2006 से दिया गया है, भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., राज्य मुख्यालय एंव म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भी दिनांक 01.01.2006 से छटवॉ वेतनमान प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव वित्त विभाग म.प्र. शासन को प्रेषित किया गया था, किंतु वित्त विभाग से दिनांक 01.07.2018 से छटवें वेतनमान का लाभ प्रदाय करने की स्वीकृति हुई है। अतः शासन के नियमानुसार संस्था में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को भी दिनांक 01.01.2006 से छठवॉ वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/2155/रा.मु./स्था0 /2018 भोपाल, दिनांक 31.07.2018 द्वारा शासन से पुनः अनुरोध किया गया है। तदानुसार प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई।

कार्यवाही : प्रभारी, स्थापना कक्ष

प्रस्ताव क्र. 02

मध्यप्रदेश के कई जिला संघो द्वारा समयावधि में निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराये जा रहे हैं। रूल्स बुक चेप्टर 5 धारा 80 के अनुसार राज्य मुख्य आयुक्त महोदय द्वारा ऐसे जिला संघों में प्रशासक नियुक्त किये जाने का प्रावधान है, जिसमें प्रशासक नियुक्त होने के पश्चात प्रशासक को तत्काल प्रभाव से समस्त अधिकार प्राप्त होगे एवं प्रशासक उपयुक्त सदस्यों के सहयोग से 90 दिन में निर्वाचन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करेंगे।

भारत स्काउट एवं गाइड के रूल्स बुक में संशोधन होने से राज्य, जिला, स्थानीय संघ उपनियम (बायलॉज) संशोधन प्रक्रिया में है। संशोधित उपनियम तैयार होने तक प्रशासक व उसके सहयोग हेतु निम्नानुसार समिति का गठन राज्य मुख्य आयुक्त के अनुमोदन से किया जाना प्रस्तावित है :-

1. प्रशासक - जिला कलेक्टर अथवा कोई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
2. सचिव - जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग/सहायक राज्य संगठन आयुक्त।
3. सदस्य - प्राचार्य -01
   प्राचार्या -01
   एल.टी/ए.एल.टी-01
   विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी 01
   हिमालय वुड बैज स्काउट- 01 (यदि नहीं हो तो स्काउटर प्रतिनिधि)।
   हिमालय वुड बैज गाइड- 01 (यदि नहीं हो तो गाइडर प्रतिनिधि)
4. संभाग के सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)।

तदानुसार प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई।

कार्यवाही : संयुक्त राज्य सचिव

प्रस्ताव क्र. 03

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश पन्नाधाय भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु बैंक से ऋण लिया गया था। उक्त ऋण राशि की अंतिम किश्त राशि रूपये 1,26,000.00 का माह अगस्त-2018 में भुगतान किया जा चुका है। भवन किराये से प्राप्त होने वाली राशि से भवन के विद्युत तथा पानी के देयकों एवं सम्पत्ति कर आदि का भुगतान किया जाता है। अब बैंक ऋण का पूर्ण भुगतान हो जाने के बाद भवन किराये से प्राप्त होने वाली राशि में से 50 प्रतिशत राशि भवन मरम्मत, रखरखाव, बिजली एवं पानी के देयकों का भुगतान तथा सम्पत्ति कर आदि के भुगतान पर व्यय किये जाना तथा शेष 50 प्रतिशत राशि नियमित

अधिकारियों / कर्मचारियों के पूर्व वर्षों के देय सी.पी.एफ. राशि हेतु उनके खातों में जमा किया जाना प्रस्तावित है।

सदन में चर्चा हुई। चर्चा पश्चात राज्य सचिव द्वारा उक्त प्रस्ताव में आंशिक संशोधन करते हुए सदन को अवगत कराया कि भवन किराये से प्राप्त होने वाली राशि में से 40% राशि भवन मरम्म, रखरखाव, बिजली एवं पानी के देयकों का भुगतान तथा कर आदि के भुगतान पर व्यय किये जाना तथा शेष 40% राशि नियमित अधिकारियों / कर्मचारियों के पूर्व वर्षों के देय सी.पी.एफ. राशि हेतु उनके खातों में जमा किया जाएगा तथा शेष 20% राशि भवन निर्माण के समय शेष देयकों के भुगतान किया जाएगा।

राज्य मुख्य आयुक्त एवं अन्य सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि पूर्व बकायादारों के देयक कार्यालयीन आदेशों एंव अन्य दस्तावेजों का पूर्ण परीक्षण कर ही भुगतान किया जावे।

प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई।

कार्यवाही : लेखाधिकारी / सहायक सचिव

प्रस्ताव क्र. 04

संस्था में कार्य की अधिकता को देखते हुए संस्था द्वारा राज्य मुख्य आयुक्त की अनुमति से मारूति स्विफ्ट डिजायर एम.पी. 04 सी.यू.6492 राशि रूपये 8,51,677.00 (आठ लाख इक्यावन हजार सात सौ सतहत्तर मात्र) में दिनांक 19.04.2018 को क्रय की गई, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। तदानुसार प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई।

कार्यवाही : राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट)

प्रस्ताव क्र. 05

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश के क्रिया–कलापों को संपादित करने हेतु राज्य शासन द्वारा राज्य मुख्यालय एवं विभिन्न कार्यालयों हेतु कुल 160 पद स्वीकृत किये गये थे, किंतु वर्ष 1996 में इन पदों में से जिला कार्यालयों के 69 पद समाप्त कर दिये गये थे। शासन द्वारा पद समाप्त किये जाने से भारत स्काउट एंव गाइड मध्यप्रदेश की गतिविधियॉ प्रभावित हुई है। अतः समय–2 पर राज्य कार्यकारिणी की अनुमोदन उपरांत आवश्यकतानुसार संविदा कर्मचारियों की नियुक्तियॉ की गई है। वर्तमान में भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय एंव विभिन्न कार्यालयों में 41 संविदा कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्यरत है किंतु इनके सम्बन्ध में स्पष्ट नियम एवं दिशा निर्देश न होने से विसंगतियॉ उत्पन्न हो रही है। अतः भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश अंतर्गत कार्यरत एवं भविष्य में नियुक्त होने वाले संविदा कर्मचारियों के लिये नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में राज्य मुख्य आयुक्त के निर्देशानुसार तैयार नियम एवं सेवा शर्तो का प्रारूप सदस्यों को फोल्डर में रख प्रस्तुत किया है ।

प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्तुत प्रारूप अनुमोदित किया गया।

कार्यवाही : प्रभारी, स्थापना कक्ष

प्रस्ताव क्र. 06

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 1980 में अनुदान नियमावली स्वीकृति की गई थी लगभग 38 वर्ष की अवधि में विभागीय संरचना एवं कार्यप्रणाली में परिवर्तन हो जाने से अनुदान नियमावली में भी कई परिवर्तन किये जाना आवश्यक है।

इसी प्रकार भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश के वैतनिक अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये भारत स्काउट एंव गाइड के उपनियम की धारा 46(7) के अंतर्गत "सेवा एवं भर्ती पदोन्नति नियम 1999 यथा संशोधित 2008" तैयार किये गये थे। इन नियमों में शासन द्वारा निर्धारित वर्तमान प्रावधानों को जोड़ने के लिये इनको पुर्नलोकन किये जाने की आवश्यकता है। अतः उक्त दोनों कार्यो हेतु राज्य कोषाध्यक्ष की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की जाना प्रस्तावित है–

1. **श्री आलोक खरे, राज्य सचिव ।**
2. **श्री प्रकाश दिसोरिया, राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट)।**
3. **श्रीमती चंद्रकांता उपाध्याय, राज्य संगठन आयुक्त (गाइड)।**

4. श्री डी.पी. मिश्रा, सहायक राज्य सचिव।
5. श्री श्रीराम सैनी, वरिष्ठ लेखा परीक्षक।

तदानुसार प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त करते हुए समिति पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही : प्रभारी, स्थापना कक्ष/लेखाधिकारी/कार्यालय अधीक्षक

प्रस्ताव क्र. 07

वर्तमान में भारत स्काउट एंव गाइड मध्यप्रदेश के विभिन्न संभागों में निम्नांकित प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	किसके नाम	क्षेत्रफल
1.	राज्य प्रशिक्षण केन्द्र गांधीनगर भोपाल	स्काउट गाइड प्रशिक्षण केन्द्र (वर्तमान में एयरपोर्ट अथार्टी को आवंटिंत)	22 एकड़
2.	संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र, जामठी बैतूल	जिला कमिश्नर स्काउट बैतूल / ए.एस.ओ.सी. होशंगाबाद	10 एकड़
3.	संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र, नयागांव ग्वालियर	जे.डी. ग्वालियर	23 बीघा
4.	संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र, खरवई रायसेन	जिला कमिश्नर स्का जिला शिक्षा अधि. रायसेन	7.90 एकड़
5.	जिला प्रशिक्षण केन्द्र, शिवपुरी	जिला कमिश्नर स्का जिला शिक्षा अधि	17 बीघा
6.	जिला प्रशिक्षण केन्द्र, अमलेटा रतलाम	जिला कमिश्नर स्का जिला शिक्षा अधि	180000 वर्गफिट
7.	संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र, अमरकंटक अनूपपुर	राज्य सचिव भारत स्का.गा.म.प्र.भोपाल	0.5 एकड़
8.	जिला प्रशिक्षण केन्द्र, चन्द्रकेश्वर बांध देवास	जिला कमिश्नर स्का जिला शिक्षा अधि	8.26 हेक्टे.
9.	संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र, कालाकुण्ड महू इंदौर	प्रादेशिक सचिव भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.	5.176 एकड़
10.	संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र, गौर का चौपड़ा पन्ना	भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.	9.47 एकड़
11.	जिला प्रशिक्षण केन्द्र, उज्जैन	अध्यक्ष भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. जिला संघ उज्जैन	05 हेक्टेयर

तात्कालिक रूप से इन प्रशिक्षण केन्द्रों के विस्तार, रखरखाव एवं सुधार हेतु इनके कुछ हिस्सो को व्यवसायिक रूप से उपयोग कर प्राप्त होने वाली राशि से निर्माण एवं सुधार कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इसी तरह अमरकंटक स्थित प्रशिक्षण केन्द्र की भूमि भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश के नाम है अतः इस भूमि पर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से निर्माण कार्य कराया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत है तथा सम्मानीय सदस्यगणों के सुझाव अपेक्षित है।

तदानुसार प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

कार्यवाही : राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट)

बिन्दु कमांक–06–माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव पर चर्चा–

1. **डॉ.राजाराम परमार, जिला मुख्य आयुक्त प्रतिनिधि सीहोर–**

डॉ.राजाराम परमार, जिला मुख्य आयुक्त सीहोर ने सदन को अवगत कराया कि जिला संघ सीहोर के लिय जमीन का प्रस्ताव की फाइल तहसील कार्यालय में लंबित है, राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा कलेक्टर

को जमीन आवंटन के लिए पत्र लिखा जाना चाहिए, ताकि जमीन आवंटित हो सकें। **इस पर सहमति प्रदान की गई।**

कार्यवाही : राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट)

2. **श्री आर.डी.सोलंकी, हेड क्वाटर कमिश्नर स्काउट भोपाल–**

   श्री आर.डी.सोलंकी, हेड क्वाटर कमिश्नर स्काउट भोपाल द्वारा अवगत कराया गया कि मेरे द्वारा अमरकंटक जिला शहडोल के भ्रमण के समय प्रशिक्षण का अवलोकन किया गया। वहॉ पर कल्याण आश्रम के पदाधिकारियों से चर्चा की गई कि आप भी बच्चों के क्षेत्र में कार्य करते है और संस्था भी बच्चों के लिए कार्य करती है। इसलिए इस भवन का निर्माण कार्य आपके द्वारा किया जाए जिससे आपकों भी और संस्था को लाभ होगा। इसपर कल्याण आश्रम के पदाधिकारियों का सुझाव था कि इस संबंध में स्थानीय समाचार में निर्माण कार्य हेतु विज्ञापन जारी किया जाए, उसके पश्चात यह निर्माण कल्याण आश्रम को दिया, ताकि किसी को आपत्ति न हों। सदन द्वारा सुझाव दिया गया कि पूर्व में गठित समिति से इस प्रशिक्षण केन्द्र का भी परीक्षण कराकर अगामी कार्यवाही की जाए। **इस पर सहमति प्रदान की गई।**

कार्यवाही : राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट)

3. **श्री आर.के.तिवारी, कार्यकारिणी सदस्य, लीडर ट्रेनर प्रतिनिधि–**

   श्री आर.के.तिवारी सतना द्वारा सुझाव दिया गया कि जिला संघों तथा विकासखण्ड संघों के निर्वाचन हेतु भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश के तहत जिला संघ के निर्वाचन हेतु पृथक से नियमावली का प्रकाशन किया जाए। **इस पर सहमति प्रदान की गई।**

कार्यवाही : संयुक्त राज्य सचिव

4. **श्री प्रकाश चित्तौड़ा, सहायक राज्य आयुक्त (स्काउट)**

   श्री प्रकाश चित्तौड़ा ने प्रस्ताव रखा कि श्री रमेश चन्द्र शर्मा, जिन्हें म.प्र. शासन द्वारा राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है वह जिला मुख्य आयुक्त जिला उज्जैन है तथा संस्था से वर्षो से जुड़े है एवं स्काउटिंग के उत्थान हेतु सहयोग हेतु तैयार रहते हैं ऐसे विशिष्ट जन को राज्य कार्यकारिणी में स्थाई आंमत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाना चाहिये। इस **पर सहमति प्रदान की गई।**

कार्यवाही : कार्यालय अधीक्षक

5. श्री रमेश चन्द्र शर्मा द्वारा बताया गया कि उज्जैन में जिला संघ द्वारा तीन मंजिला भवन बनाया गया है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है।

   इस संबंध में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि उक्त भवन के व्यावसायिक उपयोग हेतु राज्य मुख्य आयुक्त एवं श्री रमेश चन्द्र शर्मा, जिला मुख्य आयुक्त उज्जैन निर्णय लें।

बिन्दु क्र. 7 अध्यक्षीय उद्‌बोधन :–

माननीय श्री पारस चंद्र जैन, मंत्री–ऊर्जा, म.प्र.शासन एवं राज्य मुख्य आयुक्त भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र. ने राज्य कार्यकारिणी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि जबसे संस्था का दायित्व प्राप्त हुआ है निरंतर स्काउटिंग की उन्नति हेतु आपके सहयोग से प्रयासरत हूँ एवं सफलतायें भी प्राप्त हो रही है। आजीवन एंव साधारण सदस्यता वृद्धि हेतु पर्याप्त प्रयास होना चाहिये । राज्य प्रशिक्षण केन्द्र की भूमि सम्बन्धी समस्या के बारे में कलेक्टर, भोपाल से चर्चा की गई, तथा स्थान के विकल्प पर शासन से चर्चा की जा रही है। श्री रमेश जी, उज्जैन के विशेष प्रयास से संस्था का भवन तैयार हुआ है । संस्था की आय वृद्धि हेतु विशेष प्रयासों की आवश्यकता है जो आपके सहयोग से हो सकता है। अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वत्वों के भुगतान किया जा रहा है। प्रयासों से शासन से भी अनुदान राशि में वृद्धि हुई है संस्था के विरूद्ध न्यायालीन प्रकरणों का भी निराकरण होकर बहुत कम प्रकरण शेष रहें है जिन्हें भी समाप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। संस्था के कर्मचारियों को छटवें वेतनमान प्रदान करने हेतु शासन स्तर से भी आदेश जारी हो गया है। संस्था द्वारा प्रकाशित पत्रिका में विज्ञापन प्राप्ति हेतु सी.एस.आर. के अंतर्गत विज्ञापन प्राप्त करने के प्रयास करें। आपके सहयोग से स्काउटिंग मध्यप्रदेश की आय एवं सदस्य संख्या में वृद्धि होगी । धन्यवाद, जयहिंद।

<u>बिन्दु क्र. 8 धन्यवाद</u> :- श्री आलोक खरे, राज्य सचिव ने उपस्थित पदाधिकारियों/ सदस्यों से संस्था को सहयोग देने की अपेक्षा की एवं "बालचर रवि" मासिक पत्रिका की सदस्यता वृद्धि करने, जिलों से पंजीयन की राशि भिजवाने में सहयोग करने, प्रशिक्षण केन्द्रों के उन्नयन में सहभागी बनने का अनुरोध किया । श्री खरे ने सभी राज्य कार्यकारिणी पदाधिकारियों, विशेष आंमत्रित अतिथियों, कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को बैठक में सक्रिय रूप उपस्थित होने, गरिमामयी बैठक संचालन में सहयोग हेतु धन्यवाद प्रकट किया। सभी से इस संस्था में सहयोग का अनुरोध किया ।

(पारस चंद्र जैन)
मंत्री, ऊर्जा
म.प्र.शासन एवं
राज्य मुख्य आयुक्त
भारत स्काउट एवं गाइड
मध्यप्रदेश

(आलोक खरे)
राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड
मध्यप्रदेश